INDIA FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

22

R-1400-II/2002

1- श्यामलाल तनय सुग्रीव पटेल निवासी ग्राम सैवया त0 सिंहावल जिला सीधी

2- सुखई तनय सुग्रीव पटेल ग्राम सैवया त0 सिंहावल जिला सीधी [म0प्र0]

3- ज्वाला तनय सुग्रीव पटेल ग्राम सैवया त0 सिंहावल जिला सीधी म0प्र0

4- मु0 सुगिया वेवा सुग्रीव पटेल, निवासी ग्राम नकझर खुर्द त0 सिंहावल जिला सीधी म0प्र0 ---------- अपीलान्ट/आवेदकगण

बनाम

1- रामखेलावन तनय त्रिवेणी प्रसाद पटेल ग्राम सैवया थाना अमिलिया त0 सिंहावल जिला सीधी [म0प्र0]

2- श्याम लाल पटेल आत्मज त्रिवेणी प्रसाद पटेल ग्राम सैवया तहसील सिंहावल थाना अमिलिया जिला सीधी [म0प्र0]

3- द्वारिका तनय त्रिवेणी प्रसाद पटेल निवासी ग्राम सैवया तहसील सिंहावल जिला सीधी [म0प्र0]

4- मु0 विलसुआ वेवा त्रिवेणी प्रसाद पटेल ग्राम सैवया त0 सिंहावल जिला सीधी [म0प्र0] ------ उत्तरार्थी/अना0गण

V. S. TOMAR App. By Central Govt. of India Notary GWALIOR M.P. NOTARY GWALIOR

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/पुनर्विलोकन/2001-2002

चुनौती सुदा आदेश दिनांक 03-06-2002 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त, जो तर्क के समय पेश किये जावेंगे, निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित हैं :-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महो. रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/पुनर्विलोकन/2001-200 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 3-6-2002 पूर्णतया अविधिक एवं निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस विन्दु पर कतई कोई गौर नही किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राम सुशील शर्मा अधिवक्ता एल0एल0बी0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1400–दो/02 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9 –16	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक क्र0 1, 2 व 3 के अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक को स्थंगन के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेंमो में उल्लेखित है। अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 23/पूर्नविलोकन/01–02 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक श्यामलाल द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 को संहिता 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नास्पद राजीनामा का अवलोकन नहीं किया गया तथा	

अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में समय बाधित थी जिस पर विचार नहीं किया गया । प्रकरण में नामांतरण हेतु आवेदन के पक्ष में राजीनामा का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि प्रश्नास्पद भूमि अनावेदकगण के पिता एवं अनावेदक क्र0 4 के पति त्रिवेणी प्रसाद के नाम थी, जिसकी मृत्यु के बाद अनावेदकगण ही वारिसाना नामांतरण के हकदार है और इसके लिये आवेदक पक्ष के सहमति/असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दायर की गई प्रथम अपील के कालवर्जित होने का प्रश्न है, राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किया गया नामांतरण आदेश दिनांक 15.08.79 अवैधानिक और अनाधिकार पारित किया गया आदेश है जिसके विरूद्ध आदेश की जानकारी होने पर कभी भी अपील दायर की जा सकती है, क्योंकि ऐसा आदेश शून्यवद है और ऐसे आदेश के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये काल–सीमा का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने जो आदेश पारित किया है वह विधिनुकूल है।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2007 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य